फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
देवाराम पुत्र सकाराम जाति कुम्हार निवासी करनवा तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी), तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/398
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
8/7/025	प्रार्थीगण रूपाराम व देवाराम मय अधिवक्ता श्री रामलाल उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर राज़स्व रेकर्ड में ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी के खाता संख्या 472 में त्रुटिपूर्ण नाम चुन्नीलाल पुत्र रामाजी के स्थान पर सकाराम पुत्र रामाजी किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण ने अपने पिता का नाम सही व शुद्ध किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ अपने पिता के मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति पेश की। अप्रार्थी राज पेरोकार उपस्थित। अप्रार्थी राज पेरोकार ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में अनापत्ति जाहिर की। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय को सुनने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी के खाता संख्या 472 में **त्रुटिपूर्ण नाम चुन्नीलाल पुत्र रामाजी** के स्थान पर **सही नाम सकाराम उर्फ चुन्नीलाल पुत्र रामाजी** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का सेवाडी आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *	देवाराम रूपाराम

Scanned with CamScanner